उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर
(परीक्षा अनुभाग)

क्रमांक–410 /परीक्षा/2025 जबलपुर, दिनांक– 03.12.2025

:: अ धि सू च ना ::

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 2017 की अनुसूची–I के Ministerial Cadre के अनुक्रमांक–35 के अनुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट के 06 पदों पर पदोन्नति, विभागीय परीक्षा के माध्यम से की जानी है। उक्त विभागीय परीक्षा हेतु पात्र पाये गये कर्मचारियों की सूची संलग्न है। विभागीय परीक्षा से संबंधित निर्देश निम्नानुसार हैं :–

(एक) परीक्षा दिनांक व स्थान–

संलग्न सूची में दर्शित पात्र कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा **दिनांक–11.01.2026** को परीक्षा अनुभाग, प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में **प्रातः 12:00** बजे से आयोजित की जावेगी। पात्र कर्मचारियों को परीक्षा तिथि अथवा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। उक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(दो) प्रवेश पत्र –

विभागीय परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा से यथासंभव 07 दिवस पूर्व प्रेषित किये जावेंगे। प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने की दशा में परीक्षा अनुभाग, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश से प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारियों को प्रवेश पत्र में दर्शित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(तीन) विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम –

उक्त विभागीय परीक्षा केवल एक चरण में सम्पन्न कराई जावेगी जो कि 100 अंक की होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा–

क्र0	विषय	अंक	शब्द व समय
1	हिन्दी टाईपिंग	40	150 शब्द 10 मिनट में
2	अंग्रेजी टाईपिंग	40	200 शब्द 10 मिनट में
3	सामान्य अंग्रेजी (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	10	20 मिनट
4	कम्प्यूटर ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	10	
	कुल	100	40 मिनट

03/12/2025

नोट :–

1. उपरोक्त तालिका के क्रमांक 3 व 4 में दर्शित विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में पूछे जावेंगे, प्रत्येक प्रश्न में 04 विकल्प दिये जावेंगे। जिनमें से अभ्यर्थियों को सही विकल्प चुनना होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक प्रदान किया जावेगा।

2. अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिये प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका प्रदान की जावेगी, **जिसके प्रथम पृष्ठ पर दिये निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी को अपना सही अनुक्रमांक (Roll No.) अंकित करना अनिवार्य होगा**। अनुक्रमांक नहीं लिखने अथवा गलत अनुक्रमांक लिखने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जा सकेगी।

3. हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर की–बोर्ड सहित प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी को परीक्षा में अपना की–बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। हिन्दी टाईपिंग परीक्षा रेमिन्गटन गेल ले–आऊट में ही संपादित की जावेगी।

4. विभागीय परीक्षा में कर्मचारियों को 10 मिनट में लगभग 150 शब्दों का हिन्दी टाईपिंग मैटर एवं 10 मिनट में लगभग 200 शब्दों का अंग्रेजी टाईपिंग मैटर टंकित करना होगा, जिसके लिए 40–40 अंक निर्धारित हैं। इसके पश्चात् सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर ज्ञान का प्रश्नपत्र, जो कि 20 अंकों का होगा, हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षा एक शिफ्ट में 40 मिनट की होगी।

5. हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग परीक्षा में प्रत्येक त्रुटि, छूटे शब्द, अन्यत्र शब्द/चिन्ह आदि त्रुटि पाये जाने पर ऐसी प्रत्येक त्रुटि पर 0.25 (1/4) अंक काटे जावेंगे एवं 80 त्रुटियों के पश्चात् उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा व 00 अंक प्रदान किये जावेंगे। बैकस्पेस का उपयोग करने पर कोई अंक नहीं काटे जावेंगे।

(चार) परीक्षा का परिणाम :–

अ. सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर विभागीय परीक्षा के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जावेंगे। यदि किसी कर्मचारी को प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति उक्त सूचना प्रकाशन के तीन (03) दिनों के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड/रजिस्टर्ड पोस्ट (खण्डपीठ के कर्मचारियों हेतु) अथवा उचित माध्यम से निर्धारित प्रारूप में नाम, रोल नंबर व अन्य वांछित जानकारी भरकर एवं स्रोत/दस्तावेज इत्यादि (जिस पर आधारित होकर आवेदक आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है) की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित प्रेषित/जमा करेगा।

03/12/2025

निर्धारित अवधि में प्राप्त होने वाली सभी आपत्तियों एवं स्पष्टीकरणों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किये जायेंगे, जिनके आधार पर परिणाम निर्मित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। इसी प्रकार निर्धारित प्रारूप में अप्राप्त व स्त्रोत दस्तावेजों के अभाव में प्राप्त आपत्तियों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

ब. विभागीय परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों (मेरिट) के आधार पर तैयार किया जावेगा। विभागीय परीक्षा में सफल होने के लिये पूर्णांक (100 अंक) में से 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की मेरिट सूची को उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा व अग्रिम कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को प्रेषित कर दिया जावेगा।

नोट–

1. विभागीय परीक्षा में अंकों की पुनः जांच या उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा के बाद पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं होगी। अतः इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा बिना कोई कारण बताए नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

2. विभागीय परीक्षा प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश को होगा।

(पांच):–यात्रा व्यय का भुगतानः–

विभागीय परीक्षा में सम्मलित होने वाले उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ–इंदौर एवं ग्वालियर के कर्मचारियों को पात्रतानुसार देय भत्ता क्लेम करने पर संबंधित पीठ द्वारा भुगतान किया जाएगा।

संलग्न–पात्र अभ्यर्थियों की सूची।

03/12/2025

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के पद हेतु विभागीय परीक्षा के लिये पात्र आवेदकों की सूची

मुख्यपीठ-जबलपुर

क्रमांक	अनुक्रमांक	आवेदक/आवेदिका का नाम एवं पदनाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि
1		2	3	4
1	101	श्री ललित कुमार बाल्मीकि (स्वीपर) (नाम ग्रेडेशन अनुसार)	स्व.श्री हरी प्रसाद बाल्मीकि	20.06.1986
2	102	श्रीमति मनीषा प्रसन्न कुंटे (कोर्ट अटेंडेंट)	स्व. श्री प्रसन्न कुंटे	04.07.1973
3	103	श्री मोहन सिंह यादव (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री दिमान सिंह यादव	12.09.1971
4	104	श्री दिनेश कुमार (कोर्ट अटेंडेंट)	स्व श्री बाबू लाल	14.06.1980
5	105	श्री संजय कुमार तिवारी (कोर्ट अटेंडेंट)	स्व. श्री गौरीशंकर तिवारी	16.08.1980
6	106	श्रीमति लक्ष्मी रजक (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री राजकुमार रजक	08.10.1981
7	107	श्रीमति प्रियंका शर्मा (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री आकाश शर्मा	18.12.1989
8	108	श्रीमति नेहा तिवारी (कोर्ट अटेंडेंट)	पति स्व. श्री विवेक तिवारी	09.07.1995
9	109	श्रीमति रमा कश्यप (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री रमेश कुमार कश्यप	30.10.1984
10	110	श्री लक्ष्मण प्रसाद बैगा (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री शियासरण बैगा	20.07.1983
11	111	श्री आशीष जायसवाल (नवगठित सेवा का सदस्य)	श्री हीरालाल जायसवाल	19.11.1992
12	112	श्री अभिषेक मिश्रा (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री सत्य प्रकाश मिश्रा	24.02.1996
13	113	श्री नीरज दुबे (नवगठित सेवा का सदस्य)	श्री राजेन्द्र प्रसाद दुबे	05.07.1993
14	114	श्री सौरभ कश्यप (नवगठित सेवा का सदस्य)	श्री घनश्याम कश्यप	26.06.1992
15	115	श्री धर्मेन्द्र सिंह (नवगठित सेवा का सदस्य)	स्व. श्री नारायण सिंह	05.08.1992
16	116	श्री हर्ष कनौजिया (नवगठित सेवा का सदस्य)	श्री अशोक कनौजिया	05.09.1999

03/12/2025

खण्डपीठ-इंदौर

क्रमांक	अनुक्रमांक	आवेदक/आवेदिका का नाम एवं पदनाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि
1		2	3	4
17	117	श्री सुरेश सेन (नवगठित सेवा का सदस्य)	श्री रामसिंह सेन	15.11.1993

खण्डपीठ-ग्वालियर

क्रमांक	अनुक्रमांक	आवेदक/आवेदिका का नाम एवं पदनाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि
1		2	3	4
18	118	दिनेश कुमार रजक, (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री राम रजक	10.04.1986
19	119	श्री मुनिराज कुशवाहा (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री श्रीनिवास कुशवाहा	17.01.1988
20	120	श्री विजय पाल सिंह, कुक	श्री गोपाल सिंह	14.06.1991
21	121	श्री अरूण कुमार (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री संतोष कुमार	02.09.1993
22	122	श्री हेमंत रजक (नवगठित सेवा का सदस्य)	श्री नारायण प्रसाद रजक	16.08.1985

03/12/2025

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस)